[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज कु.नं. – 508/2017
23-4-18	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..12-5-18 को पेश हो।
2-5-18	राजस्व लोक अदा[illegible] 18 न्याय आपके [illegible] संयुक्त [illegible] जयपुर के [illegible] एवं [illegible] जिला कलेक्टर [illegible] 12-5-18 [illegible] तलब होकर आज पेश [illegible] अदालत से सुनवाई [illegible] अदालत/चौपाल [illegible] अटल सेवा केन्द्र ...... थोई ...... 12-5-18 को पत्रावली पेश हो। [illegible] दिनांक एवं स्थान पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो।
12.05.2018 [illegible] 2069 2076 2070 2082 [illegible] Assistant Engineer (O&M) A.V.V.N.L. Thoi खसरा सं. 2076 रकबा 0.62 है. गै.मु. नाला (नदियां तथा नाले) चारागाह हेतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसके खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं NTOR	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–थोई के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण न. 2 की ओर से सहायक अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड थोई व प्रतिवादी नम्बर 4 की ओर से नायब तहसीलदार अजीतगढ़ उपस्थित। सहायक अभियन्ता, अविविनिलि थोई ने अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 2069, 2070, 2081, 2082 कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर में वादीगण की खातेदारी भूमि से हमारे द्वारा कोई विधुत लाईन नहीं खेची जा रही है एंव ना ही भविष्य में खेंचेगें बाबत टिप्पणी अंकित की गई। वही प्रतिवादी नम्बर 4 की ओर से उपस्थित नायब तहसीलदार अजीतगढ़ ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 2076 रकबा 0.62 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला (नदियां तथा नाले) चारागाह हेतु राजस्व रिकाई में दर्ज है। जिसके खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते

Scanned by CamScanner

है। इसके साथ ही उक्त खसरा नम्बर की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की फोटो प्रति भी पेश की।

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 2069, 2070, 2081, 2082 कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 हैक्टर तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर के 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 2076 रकबा 0.62 हैक्टर तन् ग्राम थोई जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। जिस पर वादी वरवक्त बुजुर्गान के समय से निरन्तर निर्विघ्न रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 2076 में खामघर बनाकर अपने पशुधन रखकर पूर्णतया काबिज काश्त व आबाद चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 राजनैतिक व रंजिशवश अन्य काश्तकारों से साजकर वादी की उक्त खातेदारी की भूमियों व खसरा नम्बर 2076 की भूमि के उपर से विधुत लाईन खेचने पर आमादा हो रहा है।जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी ने खसरा नम्बर 2076 रकबा 0.62 हैक्टर की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को कई बार निवेदन किया तथा अपना पुराना कब्जा बताया तथा वादी के पास पुराना कब्जा होने की पैनल्टी की रसीदें आदि मौजूद है परन्तु उन्होनें उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज करने हेतु इन्कार कर दिया इसलिये खातेदारी दर्ज करवाने हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 2076 रकबा 0.62 हैक्टर तन् ग्राम थोई की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की मांग की गई है। जबकि उक्त खसरा नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

बैंक बनाम प्रहलाद वगैरा
दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 267/2010 बी.टी. नम्बर 508/2017

2076 रकबा 0.62 हैक्टर की किस्म गै0मु0 नला (नदियां तथा नाले) चारागाह हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को कानूनन प्रदान नहीं किये जा सकते है। चाहे उस व्यक्ति का कब्जा कितना भी पुराना क्यों न हों। अतः वादी द्वारा खसरा नम्बर 2076 रकबा 0.62 हैक्टर हेतु चाहा गया अनुतोष कानूनन प्रदान नहीं किये जाने के कारण खारीज किया जाता है।

अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उभय पक्ष की सहमति के आधार पर वादी का वादपत्र लोक अदालत की भावना से आंशिक डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी न. 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा 2069, 2070, 2081, 2082 कुल किता 4 कुल रकबा 1.59 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर में वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपर से कोई विधुत लाईन नहीं खींचे, ना ही विधुत पोल खड़ा करें, ना ही फसल को नुकसान पहुँचायें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प थोई के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहम लाल जाट)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–थोई

Scanned by CamScanner